

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(11)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक-17.08.2022 राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत निम्नांकित कार्मिक की राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष की अभिवृद्धि की पालना में उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 05 के अनुसार अभिवृद्धि की जाती है।

क्र. स.	अधिकारी/कार्मिक का नाम मय पद	प्रतिनियुक्ति पदनाम	प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	प्रतिनियुक्ति अभिवृद्धि अवधि की दिनांक	प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि
01	श्री चेतन कुमार पालीवाल, प्रधानाचार्य	उपनिदेशक	06.10.2018	06.10.2022 से 05.10.2023	पंचम वर्ष

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक : 08.09.2022

क्रमांक : शिविरा-मा/संस्था/बी-4/प्रतिनियुक्ति/विविध/2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
3. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, राजस्थान।
4. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
7. संबंधित कार्मिक
8. प्रभारी बी-1/II
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर